अधिसूचना   नई दिल्ली, तारीख 2 फरवरी, 2017

सं0 05/2017- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी)

सा.का.नि._______(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 21 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर शुल्क की छूट का विनिश्चय करेगा :

परंतु इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि का विस्तार पर्याप्त हेतुक दर्शित करने और कारण अभिलिखित करने पर उस प्राधिकारी जिसके समक्ष शुल्क की छूट का आवेदन लंबित है, से अगले उच्च प्राधिकारी द्वारा छह मास से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिए किया जाएगा ।"।

[फा.सं0 334/7/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 04/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं. 143(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 35/2016 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) तारीख 26 जुलाई, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 734(अ), तारीख 26 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और अंतिम रूप से संशोधन किए गए थे ।